

परिशिष्ट - दो

प्रपत्र-2(क)

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के
नियम-17(क) के अन्तर्गत

पत्रांक / शि0(बे0) /
सेवा में,

5674

/मान्यता / 2023-24 दिनांक: 16 जून, 2023

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक,
होप वे पब्लिक स्कूल,
आदर्श नगर, जौलीग्राण्ट,
देहरादून।

विषय:-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम 17(क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक: 13.06.2023 के क्रम में आपके विद्यालय होप वे पब्लिक स्कूल, आदर्श नगर, जौलीग्राण्ट, देहरादून को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का कक्षा-प्री प्राइमरी से कक्षा-08 (अंग्रेजी माध्यम) का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद देहरादून में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या- 04 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता / अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।